न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, रामनिवास जाट, आर.ए.एस.

अपील संख्या 404/17 **निर्णय दिनांकः 09.05.2019**

1. हासलखॉ पुत्र अजीम खॉ जाति मुसलमान निवासी शेरूवाला तहसील बज्जू जिला कोलायत।

अपीलांट्

–बनाम–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार, कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 30–06–1983
सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर

उपस्थिति :–

1. श्री राधाकिसन स्वामी, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, बीकानेर के आदेश दिनांक 30–06–1983 जिसके द्वारा अपीलांट का आराजी काश्त आवंटन से पुख्ता आवंटन निरस्त किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन (इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलंट को बतौर टीसी आवंटन चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/26 के किला नम्बर 15, 16, मुरब्बा नम्बर 74/27 के किला नम्बर 4, 5, मुरब्बा नम्बर 74/34 के किला नम्बर 19 ता 23 में 5 बीघा, मुरब्बा नम्बर 74/35 के किला नम्बर 1 व 2 इस प्रकार कुल 11 बीघा भूमि बतौर टीसी आवंटित थी। जिस पर आज दिनांक तक अपीलांट का कब्जा काश्त चला आ

रहा है तथा अपीलांट को कभी भी वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं किया गया। आराजी जैर का नवीनीकरण भी समय—समय पर किया जाता रहा है। इन सबके बावजूद भी परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट का टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि अपीलांट वर्ष 1955 से पूर्व का राजस्थान का मूल निवासी नहीं है। जबकि पटवारी रिपोर्ट व मौका रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि अपीलांट संवत् 2012 अर्थात 1955 से पूर्व का राजस्थान का मूल निवास है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा भूमि आवंटन हेतु सक्षम अधिकारी के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर हल्का पटवारी से रिपोर्ट ली जाकर अपीलांट की पात्रता के आधार पर ग्राम शेरूवाला के चक 5 ए.एम. के मुरब्बा नम्बर 74/26 के किला नम्बर 15, 16, मुरब्बा नम्बर 74/27 के किला नम्बर 4, 5, मुरब्बा नम्बर 74/34 के किला नम्बर 19 ता 23 में 5 बीघा, मुरब्बा नम्बर 74/35 के किला नम्बर 1 व 2 इस प्रकार कुल 11 बीघा भूमि बतौर टीसी आवंटन किया गया था। तत्पश्चात् वादगस्त् भूमि का नवीनीकरण समय—समय पर किया जाता रहा है। अपीलांट को टीसी में आवंटित भूमि आज भी अपीलांट के कब्जे काश्त में है।

परीक्षण न्यायालय द्वारा एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलांट का टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। अपीलांट को सबूत प्रस्तुत करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया। महल खानापूर्ति करते हुए फर्द अहकाम में यह लिखते हुए कि प्रार्थी सन् 1955 से पूर्व का राजस्थान का मूल निवासी नहीं है अतः अपीलांट का टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। जबकि वादग्रस्त भूमि के बाबत् पटवारी व मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई थी जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि अपीलांट को संवत् 2012 से पूर्व का अपीलांट के पिता शेरूवाला का निवासी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

न्यायालय को वादगत् आराजी काअपीलांट के टी.सी. आवंटन को पुख्ता किये जाने के आदेश प्रदान करने चाहिए थे। अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश तहसील हल्का की रिपोर्ट व कब्जा काश्त के विपरीत होने तथा बिना किसी युक्तियुक्त कारण अपीलांट के टीसी आवंटन को निरस्त किया गया है। जो काबिल निरस्त होने से निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

उन्होंने मियांद के संबंध में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना पारित किया है। जिसमें मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियांद शुमार की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपने कथन के समर्थन में आरआरडी 2017 पेज 215, आरआरटी 2017 पार्ट II पेज 1027 व आरआरटी 2006 पार्ट II पेज 1112 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गइ है तथा अपीलांट सवंत् 2012 अर्थात वर्ष 1955 से पूर्व का राजस्थान का मूल निवासी नहीं होने के कारण परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलांट का टीसी से पुख्ता आवंटन का प्रार्थना पत्र खारिज किया गया है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे साबित होता हो कि वह वर्ष 1955 से पूर्व का राजस्थान का मूल निवासी है। अपीलांट अब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज योग्य है।

6. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में सर्वप्रथम अपील प्रस्तुत करने में हुए 34 वर्ष के विलम्ब को शमन करने हेतु प्रस्तुत दरख्वाश्त पर गौर किया गया। अपीलांट का कथन है कि पीढ़ियों से खेत में ढाणी बनाकर निवास करता है तथा खेती के साथ पशुपालन से गुजारा करता है। पुश्तैनी

भूमि उपनिवेशन में आने पर राजस्व विभाग के पटवारियों ने उसे भूमि का टीसी आवंटन की दरख्वाश्त पेश करने की सूचना दी तो उसने उक्त दरख्वाश्त पेश कर दी तथा उक्त टीसी का वर्ष दर वर्ष नवीनीकरण स्वतः ही होता रहा।

उपनिवेशन विभाग के कर्मचारियों ने उसके खेत में आकर पुख्ता आवंटन का आवेदन करने के लिए कहने पर उसने पुनः आवेदन कर दिया तथा आवंटन के लिए निश्चिन्त हो गया। उसे किसी ने भी सूचना नहीं दी कि उसका टीसी आवंटन खारिज हो गया है तथा भूमि किसी अन्य को आवंटित की जा रही हो। अन्य पड़ौसियों से खातेदारी सनद् के बारे में सुनने पर उसने कर्मचारियों से उसकी भूमि के रिकार्ड की जानकारी प्राप्त की तो बताया कि उसका आवेदन को मूल निवासी न होने के कारण 34 वर्ष पहले ही खारिज किया जा चुका हैं उक्त जानकारी के तुरन्त बाद वकील से सम्पर्क कर उक्त आदेश की अपील कर दी।

अपीलांट के उक्त तर्को के संदर्भ में परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में अपीलाधीन आदेश के बाद कभी भी उक्त आदेश से प्रभावित पक्ष को सूचित करने, भूमि का आवंटन किसी अन्य को होने या अपीलाट को अतिक्रमी मानकर बेदखली की कार्यवाही करने से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है। इससे स्पष्ट जाहिर है कि अपीलांट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं दी गई। अपीलांट अनपढ़ एवं केवल खेती व पशुपालन से गुजारा करने वाला व्यक्ति है, जिससे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपनी पुश्तैनी उपयोग में ली जा रही भूमि के राजस्व रिकार्ड संधारण नियमों में हो रहे त्वरित परिवर्तन की जानकारी रखे। अपीलांट इस प्रकार की जानकारी के लिए पड़ौसियों या राजस्व कर्मचारियों की सूचना पर आश्रित है। राजकीय कर्मचारियों द्वारा उसे भूमि से बेदखल करने या राजस्व वसूली के लिए कोई नोटिस नहीं दिया गया तो यह मानने के लिए पर्याप्त कारण है कि गत् 30 वर्षो के दौरान उसे अपीलाधीन आदेश की जानकारी नहीं हो। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रस्तुत दरख्वाश्त स्वीकार की जाकर गत् 34 साल का विलम्ब शमन किया जाता है।

अपीलाधीन आदेश के संदर्भ में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा अभिभाषकगण की बहस पर गौर किया गया।

अपीलांट ने दिनांक 03—05—1983 को भूमिहीन काश्तकार के रूप में भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया। आवेदन पत्र की जॉच तहसीलदार द्वारा की गई। जिसके कॉलम नं. 1 में अपीलांट हासल खॉ पुत्र अजीज खॉ को ग्राम शेरूवाला की मरदमशुमारी संवत् 2014 क्रम संख्या 153 के अनुसार उक्त गॉव का मूल निवासी बताया गया। संलग्न दस्तावेजों के अनुसार अपीलांट/आवेदक विवादित भूमि पर सन् 1976 से 1983 तक लगातार टीसी आवंटी के रूप में काबिज रहा। आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 30—06—1983 को आवेदक द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी तथा तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट के विपरीत जाकर प्रार्थी को दिनांक 01—04—1955 से पूर्व का राजस्थान का मल निवासी नहीं होने के आधार पर गत् सात साल का टीसी आवंटन खारिज कर दिया। उक्त आदेश की सूचना प्रार्थी को दिये जाने तथा बेदखली की कार्यवाही के बारे में पत्रावली में कोई उल्लेख नहीं है। उक्त आदेश के 9 साल बाद आवंटन अधिकारी द्वारा रकबे की सूचना मांगने पर दिनांक 08—06—1992 को तहसीलदार कोलायत द्वारा बताया गया कि उक्त रकबा हासल खॉ को टीसी आवंटन का था तथा वर्तमान में हासल खॉ का ही कब्जा है जो ग्राम शेरूवाला का निवासी है। रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5 पर बताया गया कि हासल खॉ के पिता अजीम खॉ का नाम समरी 2012 के क्रम संख्या 442 पर दर्ज है।

आवंटन अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों का रिकार्ड बता रहा है कि आवेदक/अपीलंट हासल खॉ तथा उसके पिता अजीम खॉ सवंत् 2012 (सन् 1955) से स्थानीय गॉव शेरूवाला के निवासी है तो भी आवंटन अधिकारी ने सनक में आकर दिनांक 30—06—1983 को सन् 1955 में मूल निवासी न होने के काल्पनिक तथ्य को गढ़ते हुए आवेदन खारिज करने का दुर्भावनापूर्ण एवं मनमानीपूर्ण निर्णय किया है। आवेदित भूमि पर आवेदक/अपीलांट का कब्जा है जो सन् 1983 से ही पुख्ता आवंटन का पात्र था। यदि इस दौरान आवंटन नियमों में कोई संशोधन भी हुआ है तो अपीलांट आवंटन नियम 1975

के नियम 21 क के तहत नियमन एवं खातेदारी सनद् प्राप्त करने का हकदार है।

8. उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक उपनिवेशन आयक्त, कोलायत का अपीलाधीन आदेश दिनांक 30–06–1983 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सन् 1983 से पुख्ता आवंटन का पात्र मानते हुए प्रचलित विधिक प्रावधानों के तहत खातेदारी सनद् जारी करें।

9. निर्णय आज दिनांक 09–05–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर